न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 22 [illegible] मु. नं0 12[illegible] वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19-12-19	अपील धारा 5 पर निर्णय सुरक्षित रखते हुये दर्ज की जावे। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.09.2018 को एकपक्षीय स्थगन जारी किया है। इसके पश्चात आज दिनांक तक स्थगन जारी है, विचारण न्यायालय में तारीख पेशी दी जा रही है। कोई प्रभावी कार्यवाही नही हो रही है। आदेश 39 नियम 1,3 में प्रावधान है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण एक माह में किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा इसकी पालना नही की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 2000 सुप्रिम कोर्ट पेज 3032, आर.आर.डी. 1985 पेज 351 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर विचाराधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया। प्रकरण में विचारण न्यायालय में तलबी चल रही है। यह सही है कि विचारण न्यायालय को आदेश 39 नियम 1,3 की पालना में एक माह में निर्णय करना चाहिए था। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट इसी स्तर पर निस्तारित की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आदेश 39 नियम 1,3 की पालना सुनिश्चित करते हुये आगामी दो माह में प्रकरण का गुणावगुण पर अन्तिम निस्तारण करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.01.2020 को उपस्थिति देवें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (राज[illegible] सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official